दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 21.04.2023

\+ अव.वा.(सि.) 198/2018, सि.वि.आवे. 16009/2019 (निर्देश), सि.वि.आवे. 37673/2019 (निर्देश), सि.वि.आ. 48428/2019 (निर्देश) और सि.वि.आवे. 53627/2019 (निर्देश)

एंटनी रोड ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्राई. लिमि. .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सुशील दत्त सलवान, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री आदित्य गर्ग, अधिवक्ता

बनाम

वर्शा जोशी और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अविष्कार सिंघवी, श्री नावेद अहमद और श्री विवेक कुमार, अधिवक्तागण के साथ सुश्री अल्का, अनुभाग अधिकारी, परिवहन विभाग और श्री रंजीत कुमार, डी.जी.एम.,डी.आई.एम.टी.एस

\+ अव.वा.(सि.) 200/2018, सि.वि.आवे. 15769/2019 (निर्देश), सि.वि.आवे. 37675/2019 (निर्देश), सि.वि.आवे. 48431/2019 (निर्देश) और सि.वि.आवे. 53638/2019 (दिशा निर्देश),

मेट्रो ट्रांजिट प्राइ. लिमि. .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सुशील दत्त सलवान, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री आदित्य गर्ग, अधिवक्ता

बनाम

वर्शा जोशी एंड अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अविष्कार सिंघवी, श्री नावेद अहमद और श्री विवेक कुमार, अधिवक्तागण के साथ सुश्री अल्का, खंड अधिकारी, परिवहन विभाग और श्री रंजीत कुमार, डी.जी.एम.,डी.आई.एम.टी.एस

\+ अव.वा.(सि.) 982/2019, सि.वि.आवे. 48321/2019 (अंतरिम निर्देश), सि.वि.आवे. 53675/2019 (राशि का आहरण), सि.वि.आवे. 48322/2019 (अपवाद) और सि.वि.आवे. 9908/2020 (निर्देश)

ए.बी. ग्रेन स्पिरिट्स प्राइ. लिमि. और अन्य ....याचीगण

द्वारा: श्री. तन्मया मेहता और श्री अंकित विरमानी, अधिवक्तागण

बनाम

राजीव वर्मा, प्रधान सचिव सह आयुक्त, परिवहन रा.रा.क्षे.दि.सर. और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अविष्कार सिंघवी, श्री नावेद अहमद और श्री विवेक कुमार, अधिवक्तागण के साथ सुश्री अल्का, अनुभाग अधिकारी, परिवहन विभाग और श्री रंजीत कुमार, डी.जी.एम.,डी.आई.एम.टी.एस

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री रेखा पल्ली

<u>न्या. रेखा पल्ली, (मौखिक),</u>

1. न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत वर्तमान याचिकाएँ इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा रि.या.(सि.) 4297/2017 और अन्य संबंधित याचिकाओं में दिनांक 06.12.2017 को जारी निर्देशों की जानबूझकर की गई अवज्ञा के लिए प्रत्यर्थीगण के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की माँग करती है|

2. पक्षकारों की विरोधी प्रस्तुतियों से निपटने से पहले तथ्यात्मक पहलु जैसा कि वर्तमान याचिकाओं के निर्णय के लिए आवश्यक हो सकता है नोट किए जा सकते हैं|

3. याचीगण रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य सरकार की क्लस्टर योजना के तहत सरकार को स्टेज कैरिज सेवाएं प्रदान कर रहे है| इस योजना से तहत सभी क्लस्टर दिल्ली के लिए स्टेज कैरिज सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नेटवर्क

का हिस्सा हैं ताकि यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित की जा सके| योजना के सुचारु संचालन के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य सरकार ने याचीगण और अन्य रियायतग्राही के साथ विभिन्न समान रियायतग्राही समझौते किए जिन्हें अपने संबधित क्लस्टरों में बसों के संचालन और रखरखाव के संबंध में ड्राइवरों और अन्य कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता थी| हालाँकि, इन बसों को चलाने वाले कंडक्टरों की सेवाएं रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी| यह एक स्वीकृत स्थति है कि रियायती समझौतों के तहत विचार में याचीगण को देय विशेष वेतन की परिकल्पना की गई है जिनकी सेवाओं का उपयोग इन वाहनों के लिए किया जा रहा था|

4. चूंकि रियायती समझौतों में कर्मचारियों को देय विशेष वेतन की परिकल्पना की गई है इसलिए समझौते में किसी भी “कानून में बदलाव” के मामले में रियायतग्राही को प्रति घंटे सेवा दर के भुगतान के फोर्मुले में संशोधन की शर्त भी शामिल है| दिनाँक 15.09.2016 और 03.11.2017 की अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम बढ़ाए जाने पर याचीगण ने उक्त फोर्मुले में संशोधन की माँग की तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर उन्होंने उपरोक्त रिट याचिकाओं के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया| खंडपीठ के समक्ष अभिवाक् यह था कि राशि की जिस मात्रा पर याचीगण ने अपनी निविदांए जमा की थी वह

उनके कर्मचारियों को देय एक विशेष न्यूनतम वेतन पर आधारित थी जिन्हें स्टेज कैरिज सेवा के संचालन के लिए काम करना था| एक बार जब इन न्यूनतम वेतन में वृद्धि हुई तो सरकार पर यह दायित्व था कि वह न्यूनतम वेतन में वृद्धि के कारण स्टेज कैरेज सेवाएं प्रदान करने की लागत में इस वृद्धि को पूरा करने के लिए याचीगण को अतिरिक्त भुगतान करें|

5. रिट याचिकाओं को खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ दिनांक 06.12.2017 को अनुमति दी थी:-

> *"14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, किसी भी लंबित मुकदमे में पक्षकारों के अधिकारों और विवाद पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्यर्थी समायोजन और बढ़ी हुई न्यूनतम वेतन के सन्दर्भ में देय राशि के संबंध में रियायतग्राही समझौते में परिकल्पित फॉर्मुले में 15 सितम्बर, 2016 तथा 3 मार्च, 2017 की अधिसूचनाओं पर विचार कर आवश्यक संशोधन करेंगे और परिणामस्वरूप उक्त अधिसूचनाओं के प्रभावी होने की तारीख से वेतन में वृद्धि की जाए या याचीगण को उनके मासिक बिलिंग में उचित लाभ दिया जाए|*
>
> *15. याचीगण उपरोक्त निर्देशों के अनुसार देय राशि की गणना करेंगे| गणना शीट की प्रति आज से दो सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थीगण को दी जाए|प्रत्यर्थीगण को उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर राशि का भुगतान करना होगा"|*

6. इन निर्देशों के प्रभाव की सराहना करने के लिए उस सन्दर्भ की जाँच करना भी आवश्क होगा जिसमें निर्देश जारी किए गए थे| इस प्रयोजन के लिए दिनांक 06.12.2017 के निर्णय के अनुच्छेद सं. 10-13 का संदर्भ लेना उपयोगी होगा जो उस पृष्ठभूमि को बताता है जिसमें निर्देश जारी किए गए थे| जैसा निम्नलिखित है:-

"10. याचीगण के इस प्रतिविरोध के समर्थन में कि प्रत्यर्थीगण न्यूनतम वेतन में वृद्धि के कारण रियायतग्राही की लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है, रियायतग्राही समझौते में शामिल अन्य के अलावा निम्नलिखित खंड पर निर्भरता की गई है:-

"4.8 कानून में बदलाव के लिए सी.वाय.एफ भिन्नता

(क) जहाँ कानून में बदलाव की स्थिति द्वारा रियायतग्राही की लागत में स्थापित वृद्धि होती है:-

(i) जिस समय इस समझौते पर बातचीत हो रही थी उस समय इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी;

(ii) अच्छे प्रबन्धन को लागू करने से उचित रूप से टाला नहीं जा सकता था; और

(iii) जिस तरह से सी.वाय.एफ का निर्माण किया गया है उसमें स्पष्ट रुप से या अंतर्निहित रुप से समायोजित नहीं किया गया है, रियायतग्राही अपनी उचित अनुपालन लागतों को वसूलने के लिए सी.वाय.एफ में संशोधन करने का हकदार है| सी.वाय.एफ में समायोजन लागत में हुई वृद्धि से अधिक नहीं होगा जो कि

दूरसंचार विभाग की संतुष्टि के लिए रियायतग्राही द्वारा साबित किया गया था|

(ख) जहाँ कानून में बदलाव की स्थिति से रियायतग्राही की लागत में स्थापित कमी आई है:-

(i) जिस समय इस समझौते पर बातचीत हो रही थी उस समय इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी; और

(ii) और जिस तरह से वाय.एफ. का निर्माण किया गया है, उसमें स्पष्ट रुप से या अंतर्निहित रुप से समायोजित नहीं किया गया है उसमे दूरसंचार विभाग सी.वाय.एफ. में संशोधन करने का हक़दार है ताकि इसे उस राशि से कम किया जा सके जिसके द्वारा सेवाएं प्रदान करने की रियायतग्राही की लागत को उचित रुप से कम किया जाना चाहिए|

(ग) 4.8(क) तथा 4.8(ख) में निर्धारित कानून में बदलाव के कारण सी.वाय.एफ भिन्नता पर केवल तभी विचार किया जाएगा जहाँ सी.वाय.एफ का प्रभाव कम से कम 2% हो"|

(हमारे द्वारा जोर दिया गया)

11. प्रत्यर्थीगण उन एजेंसियों के साथ जो कंडक्टरों की सेवाएँ प्रदान करती हैं और याचीगण जो स्टाफ ड्राइवरों और अन्य सहायक कर्मचारियों की सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं से अलग व्यवहार नहीं कर सकते हैं|

12. याचीगण की शिकायत है कि न्यूनतम वेतन वर्ष 1994 से स्थिर बनी हुई और प्रत्यर्थीगण द्वारा एक अलग फोर्मुले का उपयोग करके एकाएक इसे बढ़ा दिया गया है| निवेदन यह है कि यह कानून में एक बदलाव है जिसके परिणामस्वरूप रियायतग्राही

की लागत में पर्याप्त और अप्रत्याशित वृद्धि हुई है याचिकाकर्ता द्वारा यह भी शिकायत की गई है कि वृधि के परिणामस्वरूप समेकित वार्षिक किराए की गणना का फार्मूला प्रत्यर्थीगण द्वारा नहीं बदला गया है।

13. हम नोट कर सकते हैं कि याचीगण द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य सरकार के मुख्य सचिव के साथ मामले को सुलझाने के प्रयास असफल रहे थे।

7. उपरोक्त बातों पर गौर करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ऊपर दिए गए निर्देश याचीगण की शिकायत का निवारण करने के लिए जारी किए गए थे कि जनशक्ति के न्यूनतम वेतन में बदलाव के परिणामस्वरूप रियायतग्राहियों की लागत में पर्याप्त और अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और इसलिए प्रत्यर्थीगण द्वारा समेकित वार्षिक किराए की गणना के फॉर्मूले को बदलने की आवश्यकता थी। खंडपीठ द्वारा 06.12.2017 को जारी इन निर्देशों से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण को याचीगण और अन्य रियायतग्राहियों को देय राशि के संबंध में रियायतग्राही समझौते में परिकल्पित फॉर्मुले में संशोधन करने और परिणामस्वरूप याचीगण द्वारा प्रदान की जाने वाली गणना के आधार पर भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया, प्रत्यर्थीगण ने वि.अनु.या. (सि.) डायरी सं. 15731/2018 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। उक्त वि.अनु.या. को रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य

सरकार को खण्डपीठ के समक्ष एक पुनर्विलोकन याचिका दायर करने की छूट के साथ दिनांक 05.07.2018 को वापस लेने पर ख़ारिज किया गया था| इस स्तर पर शीर्ष न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2018 को पारित आदेश को नोट करना भी उपयोगी हो सकता है| यह निम्नलिखित प्रकार से है:-

> *"कुछ समय तक मामले पर बहस करने के बाद याचीगण की ओर से उपस्थित विद्वान् अतिरिक्त महा सालिसिटर ने इन विशेष अनुमति याचिकाओं को वापस लेने के लिए अनुमति माँगी ताकि एक पुनार्विलोकन याचिका के माध्यम से माननीय न्यायालय से संपर्क किया जा सके चूँकि यह प्रस्तुत किया गया है कि कुछ बिन्दुओं पर जिन पर उच्च न्यायालय के समक्ष पहले से आग्रह किया गया था आक्षेपित निर्णय में प्रतिबिम्बित नहीं किया गया है|*
>
> *अनुमति प्रदान की जाती है|*
>
> *तदनुसार, विशेष अनुमति याचिकाएं वापस ली जाने पर ख़ारिज की जाती हैं|"*

8. सरकार द्वारा बाद में दायर पुनर्विलोकन याचिकाओं को खण्डपीठ ने दिनांक 26.07.2019 को खारिज कर दिया जिसके बाद रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य सरकार ने पुनः असफल रुप से सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क किया| दिनांक 26.07.2019 के आदेश के विरुद्ध उनकी वि.अनु.या. को शीर्ष न्यायालय ने

दिनांक 07.02.2020 के आदेश के तहत खारिज कर दिया, जो आदेश इस प्रकार है:-

"इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 05.07.2018 के सन्दर्भ में मूल आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए मामले की कुछ समय के लिए सुनवाई हुई, जिसके बाद अतिरिक्त महा सालिसिटर ने विशेष अनुमति याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति माँगी ताकि एक पुनर्विलोकन याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख कर सके चूँकि उन्होंने प्रस्तुत किया था कि आग्रह किए गए कुछ बिन्दुओं को आक्षेपित निर्णय में प्रतिबिंबित नहीं किया गया था|

इसके लिए अनुमति तो दे दी गई लेकिन दोबारा इस न्यायालय का रुख करने की अनुमति नहीं दी गई।

आदेश का तत्व यह भी स्पष्ट करता है कि पीठ (जिसमें हम में से एक न्या. संजय किशन कौल सदस्य थे) उस तिथि को दिए गए प्रस्तुतिकरण से खुश नहीं थे लेकिन याचिकाकर्ता को कुछ अभिवाक् करने का अवसर दिया गया जो उनके अनुसार आग्रह की गई थी और आदेश में प्रतिबिंबित नहीं हुई थी| बाद में पुनर्विलोकन याचिका खारिज कर दी गई। किसी भी अनुमति के अभाव में, विनोद कपूर बनाम गोवा राज्य और अन्य (2012) 12 एसएससी 378; सुधाकर बाबूराव नांगनूरे बनाम नोरेश्वर रघुनाथराव शिंदे व अन्य राज्य- 2019 (4) स्केल 417 के इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनज़र वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाएँ पोषणीय नहीं हैं| कहने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली नगर निगम बनाम यशवंत सिंह नेगी- 2013(2)

एससीआर 550 में इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनज़र पुनर्विलोकन को चुनौती नहीं दी जा सकती है|
विशेष अनुमति याचिकाएँ खारिज की जाती है| विलंब की क्षमा हेतु आवेदन सहित लंबित आवेदनों का निपटान किया जाता है|"

9. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर ध्यान देने के बाद मैं अब पक्षकारों की प्रस्तुति का सन्दर्भ ले सकता हूँ| यह याचीगण का दावा है कि जैसा श्री सुशील दत्त सलवान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रत्यर्थीगण ने रियायती समझौते में आवश्यक संशोधन करने के बजाय प्रत्येक क्लस्टर पर लागू सेवा घंटे की दर में वृद्धिशील वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रियायती परिचालन क्लस्टर 6 अर्थात गोवर्धन ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में गणना की गई और वृद्धिशील वृद्धि को लागू करने के लिए आगे बढ़े| यह उनका मामला है कि रियायती समझौते के तहत परिकल्पित फॉर्मूले में संशोधन करने के लिए लागू की जाने वाली वृद्धिशील वृद्धि प्रत्येक क्लस्टर के लिए अलग-अलग होनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक क्लस्टर के विशिष्ट तथ्यों पर इसकी गणना की जानी आवश्यक थी जिसमें बसों की संख्या, जनशक्ति की संख्या आदि शामिल है| प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रत्येक क्लस्टर के लिए अलग-अलग इस वृद्धिशील वृद्धि को लागु करने के बावजूद यह सोच-समझकर और इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जारी निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है, सभी क्लस्टरों के लिए क्लस्टर 6 के लिए

वृद्धिशील वृद्धि को समान रुप से लागू करने के अपने गलत रुख पर कायम है| उनका कहना है कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद प्रत्यर्थीगण प्रत्येक क्लस्टर के लिए सही वृद्धिशील वृद्धि लागू करने से इनकार कर रहे है और वह भी तब जब यह एक स्वीकृत स्थिति है कि विभिन्न समूहों की प्रारम्भिक सेवा घंटे की दर अपने आप में अलग थी|

10. श्री सलवान ने आगे कहा कि खण्डपीठ के आदेश में कोई अस्पष्टता नहीं थी, जिसमें प्रत्यर्थीगण को प्रत्येक क्लस्टर की अलग-अलग वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रियायतग्राही समझौते के लिए देय राशि की गणना के लिए फॉर्मूला में संशोधन करने की आवश्यकता थी| अपने अभिवाक् के समर्थन में वह इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2022 और 29.03.2023 को पारित आदेशों पर भरोसा करना चाहते है जिसमें इस स्थिति को नोट करने के बाद प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने हेतु समय दिया गया था| इन दोनों अवसरों पर, न्यायालय ने पक्षकारों के प्रतिद्वंदी प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि क्लस्टर 6 द्वारा अन्य सभी क्लस्टरों के लिए दावा किए गए 27.26/- रुपए की दर लागू करना गलत था चूँकि खण्डपीठ द्वारा दिनांक 06.12.2017 को पारित किए गए आदेश में विशेष रुप से यह निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक रियायतग्राही को देय राशि स्वतंत्र रुप से तय की जानी थी|

11. श्री सलवान अंततः प्रस्तुत करते है कि वर्तमान मामले में खण्डपीठ द्वारा जारी किए गए निर्देशों के प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी भी भ्रांति की कोई ग़लतफहमी की गुंजाइश नहीं थी जिससे स्पष्ट रुप से कहा गया था कि प्रत्येक क्लस्टर के लिए वृद्धिशील वृद्धि को अलग से लागू करना होगा| प्रत्यर्थीगण ने प्रत्येक क्लस्टर की वृद्धिशील वृद्धि को लागू करने के बजाय क्लस्टर 6 पर लागू वृद्धिशील को समान रुप से लागू किया है जो सोच-समझकर और स्पष्ट रुप से खण्डपीठ द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है| इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि खण्डपीठ द्वारा जारी निर्देशों की जानबूझकर की गई अवज्ञा के लिए प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरु की जाए| अपने अभिवाक के समर्थन में वह शीर्ष न्यायालय के ***अनिल रतन सरकार बनाम हीरक घोष, (2002) 4 एसएससी 21 और ऑल बंगाल एक्साइज लाइसेंसी एसोसिशन बनाम राघबेंद्र सिंह (2007) 11 एसएससी 374*** में निर्णय पर निर्भरता चाहते हैं।

12. दूसरी ओर, यह प्रत्यर्थीगण का रुख है कि खण्डपीठ का एकमात्र निर्देश दिनांक 15.09.2016 और 03.03.2017 की अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए रियायतग्राही समझौते में परिकल्पित लागू फॉर्मूले में संशोधन करना था जो याचीगण के अनुसार भी प्रत्यर्थीगण द्वारा संशोधित किया गया है| केवल इसलिए कि उक्त संशोधन क्लस्टर 6 के संचालक द्वारा दावा की गई वृद्धिशील वृद्धि पर आधारित है, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थीगण

ने खण्डपीठ द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है| प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आविष्कार सिंघवी ने दृढ़तापूर्वक कहा कि खण्ड पीठ द्वारा जारी निर्देश में किसी विशेष तरीके से फॉर्मूले में संशोधन की परिकल्पना नहीं की गई थी| इसलिए उनके द्वारा प्रतिवाद किया गया कि प्रत्यर्थीगण ने फॉर्मूले में संशोधन किया है यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई जानबूझकर अवज्ञा की गई है|

13. बार में किए गए प्रस्तुतिकरण से यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिकाओं का पूरा दायरा इस बात के इर्दगिर्द है कि खण्डपीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ता और क्लस्टर के अन्य संचालकों को प्रत्यर्थीगण द्वारा देय राशि के संबंध में रियायतग्राही समझौते में परिकल्पित फॉर्मूले का कथित संशोधन है या नहीं| हालाँकि याचीगण का मामला यह है कि प्रत्यर्थीगण की कार्यवाही इस न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के अनुरुप नहीं है जिस पर प्रत्यर्थीगण ने प्रतिवाद किया कि उन्होंने खण्डपीठ द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सख्ती से आवश्यक संशोधन किए है और इसलिए कोई अवमानना नहीं होती है| इस प्रकार, जो उभर कर सामने आता है वह यह है कि प्राथमिक प्रश्न जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या इस संशोधन को खण्डपीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कहा जा सकता है| यह तभी है यदि यह न्यायालय पाता है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा किए गए फार्मूला में संशोधन खण्डपीठ द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत है तो ही यह

कहा जा सकता है कि वे न्यायालय की अवमानना के दोषी हैं| इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक होगा कि क्या खण्ड पीठ द्वारा जारी निर्देशों ने प्रत्यर्थीगण को प्रत्येक क्लस्टर की वृद्धिशील वृद्धि को अलग से लेते हुए प्रत्येक क्लस्टर के लिए फार्मूला तैयार करने के लिए बाध्य किया है और यदि हाँ, तो क्या ऐसा न करना अवमानना के दायरे में आएगा|

14. इस समय, तथ्यात्मक पहलु में आगे बढ़ने से पहले अवमानना क्षेत्राधिकार के लागु करने वाले पक्षकारों द्वारा लिए गए निर्णयों पर ध्यान देना और साथ ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरु करने के लिए पूरी की जाने वाली पूर्व शर्तों पर ध्यान देना उचित होगा| सबसे पहले ***अनिल रतन सरकार (पूर्वोक्त)*** के निर्णय का सन्दर्भ लिया जा सकता है जिसमें शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि ऐसे मामले में जहाँ एक आदेश की दो व्याख्याएँ संभव हैं और संचालन की स्वेच्छाचारी प्रकृति के संबंध में मामले में संदेह है तो कोई अवमानना नहीं होगी| उक्त निर्णय के प्रांसगिक उद्धरण जैसा कि पैरा सं. 20-22 में निहित है निम्न प्रकार है:-

> ***"20.*** *इस मामले में फिलहाल दायर जवाबी हलफ़नामे में भी यही स्थिति है: क्या यह उचित है? तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उत्तर नकारात्मक ही हो सकता है| एक वरिष्ठ सिविल सेवा कर्मी के लिए अज्ञानता का अभिनय करना या संवेदना की दलील देना न तो उचित है और न ही तार्किक है जबकि निर्णय*

में इस न्यायालय के निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं| सरकारी कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के क्लस्टर के समान माना जाना चाहिए और इस न्यायालय ने पहले के अवसर पर विद्वान् एकल न्यायाधीश के विचार पर सहमति व्यक्त की थी कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्रों को मनमाना नहीं माना जा सकता है: सरकार उत्पीड़न की मशीनरी नहीं है और हमारा एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, वास्तव में इसका विरोध किया जाना चाहिए| यह लोगों का कल्याण है जिसके बारे में राज्य मुख्य रुप से चिंतित है और न्यायालय के एक विशिष्ट आदेश के अनुपालन से बचने के हमारे संविधान से संस्थापकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के सन्दर्भ में राज्य निकाय का उचित कामकाज नहीं कहा जा सकता है| वर्गहीन, गैर-भेदभावपूर्ण और समतावादी समाज- अर्थहीन शब्दजाल नहीं है ताकि वे केवल सिद्धांतों पर हमारे समाजवादी राज्य के बुनियादी कारक बनकर रह जाएं और रोजमर्रा की जिन्दगी की वास्तविकताओं में उनका कोई अनुप्रयोग न हो: कर्मचारियों का एक वर्ग लाभान्वित होगा लेकिन समान पद पर कार्यरत कर्मचारी को इतना समर्थन नहीं मिलेगा- यह रवैया क्यों? जाहिर है कोई जवाब नहीं है| आश्चर्य की बात यह है कि कलकत्ता से दिल्ली तक एक से अधिक बार मुकदमेबाजी के छह दौर के बाद भी यह रवैया कायम है- प्रति-शपथपत्र में जो उत्तर दिखाई देता है वह दुख की अभिव्यक्ति है क्योंकि वर्तमान में विचाराधीन तथ्यों को संवेदना के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है| आदेश को स्पष्ट रुप से पढ़ने से प्रत्यर्थी राज्य की संवेदना को नकार दिया जाता है और बिना किसी अनिश्चित शब्दों के आचरण को समान परिस्थितियों में कर्मचारियों के एक वर्ग को वंचित करने के इरादे की अभिव्यक्ति के रुप में माना जा सकता है- हालाँकि संयमित भाषा में, चाहे जो भी हो तथा इस मनोस्थिति को प्रति-शपथपत्र में स्पष्ट रुप

से व्यक्त किया गया है| इस प्रकार वर्तमान तथ्यों में वास्तविक समझ का प्रश्न न तो उठता है और न ही उठ सकता है| क्या यह परिस्थितियाँ विश्वसनीय है कि पहली रिट याचिका के आरंभ में ही विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को राज्य सरकार के वरिष्ठतम नौकरशाह द्वारा ठीक से नहीं समझा गया है: इसी भ्रांति अपीलीय न्यायालय तथा इसी क्रम में तीसरे स्थान पर शीर्ष न्यायालय के आदेश के सम्बन्ध में जारी है| उच्च न्यायालय में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दूसरी रिट याचिका दायर होने के बाद भी यह संवेदना आगे जारी है और इसी तरह की समझ इस न्यायालय के स्पष्टीकरण आदेश के बाद भी जारी है, जैसा कि दिनांक 20.04.2001 के आदेश से पता चलता है [अनिल रतन सरकार बनाम प.बं. राज्य; (2001) 5 एसएससी 327 : 2001 एसएससी (एल&एस) 866] अवमानना याचिका में दायर प्रति-शपथपत्र में भी संवेदना अभी भी कायम है - हम असमंजस में है कि ये यह संवेदना किस बारे में है: "संवेदना" की रक्षा निस्संदेह न्यायालय के आदेश की कठोरता से बचने का एक सरल प्रयास है लेकिन कार्यवाही को खत्म नहीं किया जा सकता है- हालाँकि, संवेदना की कमी की तथाकथित अवधारणा के माध्यम से बचने का प्रयास स्थायी बचाव नहीं हो सकता है हालाँकि अस्थायी और अल्पकालिक लाभ हो सकते है। इस न्यायालय के आदेश की व्याख्या सम्भवतः प्रत्यर्थीगण की समझ के अनुसार नहीं की जा सकती है, लेकिन जैसा कि उसमें प्रयोग की गई स्पष्ट भाषा से प्रतीत होता है| न तो आदेश दो अनेक व्याख्याओं के योग्य है और न ही इसमें कोई अस्पष्टता है और इसके लिए आगे स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है| आदेश अपने सन्दर्भ और अर्थ में निरपेक्ष व स्पष्ट है| न्यायालय के आदेश को उल्लंघन करने की दृष्टि के बजाय पालन करने की दृष्टि से देखा जाए।

21. यह मामला पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से न्यायालयों में लंबित है लेकिन दुर्भाग्य से प्रत्यर्थी राज्य की मुकदमेबाजी की भावना रत्ती भर भी कम नहीं हुई है- भावना जारी है और नुक्सान भी। संवेदना के आधार पर रक्षा न केवल काल्पनिक है बल्कि इस न्यायालय के आदेश को कम करने का एक सोचा-समझा प्रयास है और इस तरह इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना के मामले में स्वेच्छाचारिता स्पष्ट है और हम न्यायालय के आदेश की जानबूझकर और सोच-समझकर उपेक्षा करने की कार्यवाही के बचाव के रुप में इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम पाते है कि प्रत्यर्थी अधिकारियों की ओर से कार्यवाही न केवल अनुचित है बल्कि जानबूझकर और द्वेषपूर्ण रूप से की गई है और वह भी याचीगण द्वारा उनके पक्ष में अब तक प्राप्त सभी पांच निर्णयों में एक विशिष्ट निर्देश के बावजूद। परिहार को बड़े पैमाने पर लिखा गया है और हमारे लिए बिना किसी विशेष तुक या कारण के इसका उपभोग करना कठिन होगा।

***22.** प्रासंगिक तथ्यों में कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती, अन्यथा विधि न्यायालय खुद को बेकार कर देंगी और उनके आदेश पूरी तरह से मजाक बन जाएंगे। आत्मविश्वास की भावना और न्याय का उचित प्रशासन भारतीय न्यायशास्त्र की पहचान बने बिना नहीं रह सकता और न्यायालयों की विरोधाभासी कार्यवाही अपनी प्रभावकारिता खो देंगी। विधि न्यायालय की सहनशीलता है लेकिन बिना किसी सीमा के और केवल एक निश्चित बिंदु तक, उससे आगे नहीं।"*

15. ***दिनेश कुमार गुप्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, (2010)12 एसएससी 770*** के निर्णय का भी सन्दर्भ दिया जा सकता है जिसमें शीर्ष न्यायालय ने किसी व्यक्ति को सिविल अवमानना का दोषी ठहराए जाने

से पहले पूर्व शर्तों का सारांश दिया था| उक्त निर्णयों के पैरा 15 और 17, जो इस पहलू से सम्बधित है, निम्न प्रकार है:-

> ***"15.*** *फिर भी, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क देना सही नहीं होगा कि विद्वान एकल न्यायाधीश केवल इसलिए अपीलार्थी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरु करने के लिए अधिकृत नहीं थे क्योंकि वह एक एकल पीठ में बैठे थे हालाँकि वह शायद यह नोटिस करने की स्थिति में थे कि क्या किसी पक्षकार या किसी अन्य द्वारा कहने पर की गई कथित कार्यवाही जो न्यायहित अवरुद्ध करती है जिसके द्वारा न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक प्रकृति की है और फिर भी स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही शुरु करने से रोका जाएगा| न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 स्पष्ट रुप से किसी व्यक्ति को नागरिक अवमानना करने के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले केवल निम्नलिखित पूर्व शर्तों के अस्तित्व को दर्शाता है:-*
>
> *(i) किसी न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश या डिक्री या निर्देश या रिट या अन्य प्रक्रिया होनी चाहिए; या*
> *किसी न्यायालय को दिया गया वचनबंध;*
>
> *(ii) निर्णय, आदि न्यायालय का होना चाहिए और न्यायालय को वचनबंध दिया जाना चाहिए;*
>
> *(iii) ऐसे निर्णयों आदि की अवज्ञा होनी चाहिए अथवा ऐसे वचनबंध का उल्लघंन किया होना चाहिए;*
>
> *(iv) अवज्ञा या उल्लंघन, जैसा भी मामला हो, जानबूझकर किया होना चाहिए|*
>
> *17. यह हमें अब अगले और अधिक प्रासंगिक प्रश्न ही ओर ले जाता है कि क्या अपीलार्थी के विरुद्ध शुरु की गई अवमानना की कार्यवाही को केवल अटकलों, धारणाओं और तत्काल मामले*

के तथ्यों और परिस्थितियों से निकाले गए अनुमान पर अनुरक्षणीय माना जा सकता है| हमारी सुविचारित राय में, इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला में परिलक्षित सुव्यवस्थित क़ानूनी स्थिति के मदेद्जर उत्तर स्पष्ट रुप से नकारात्मक होना चाहिए कि सिविल प्रकृति की अवमानना को केवल तभी माना जा सकता है जब ऐसा हुआ हो कि आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की गई है और यद्धपि अवज्ञा हुई हो सकती है, फिर भी यदि यह प्रतिबिम्बित नहीं हो सकता है कि यह सोच-समझकर और जानबूझकर की गई अवज्ञा है तो अवमानना का मामला नहीं बनाया जा सकता है| वास्तव में यदि कोई आदेश विभिन्न प्रकार के परिणामों को जन्म देने वाली एक से अधिक व्याख्या हेतु सक्षम है तो उसका अनुपालन न करने को आदेश की जानबूझकर अवज्ञा नहीं माना जा सकता है इस तरह से कि अवमानना का मामला बनाया जा सके जिनके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं जिसमें सजा देना भी शामिल है| हालाँकि, जब न्यायालयों को इस प्रश्न का सामना करना पड़ता है कि क्या किसी भी दी हुई स्थिति को जानबूझकर की गई अवज्ञा का मामला माना जा सकता है या उसके अनुपालन को ना करने के लिए एक झूठे बहाने का मामला माना जा सकता है चाहे यह कितना भी स्पष्ट क्यों न हो यह स्पष्ट रुप से किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा; लेकिन ऐसा निर्णय लेते समय, धारणा के आधार पर बहुत अधिक अटकलें लगाना क़ानूनी रुप से सही नहीं होगा चूँकि न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 स्पष्ट रुप से बताता है और इस बात पर जोर देता है कि सिविल प्रक्रति की अवमानना के आरोप में किसी को भी दोषी ठहराए जाने से पहले जानबूझकर की गई अवज्ञा का तत्व मौजूद होना चाहिए|"

16. इस स्तर पर, ***आल बंगाल एक्साइज लाइसेंसी एसोसिएशन (पूर्वोक्त)*** में शीर्ष न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना भी उपयोगी हो सकता है जिसमें शीर्ष न्यायालय ने अवमाननाकर्ताओं द्वारा किए गए बचाव को खारिज कर दिया था चूंकि न्यायालय के आदेशों को समझने में गलती हुई थी| शीर्ष न्यायालय की प्रांसगिक टिप्पणियाँ जैसा कि पैरा सं. 26-28 में निहित है निम्न प्रकार है:-

> ***"26.*** *यह न्यायालय केवल यह कह सकती है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे अधिकारी जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित निषेधात्मक आदेशों के निहितार्थ को समझने में सक्षम या योग्य नहीं है उन्हें ऐसे उच्च पदों पर रहने की अनुमति दी जानी चाहिए| अवमानना आवेदन की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा मामले को स्थगित कर दिया गया था ताकि प्रत्यर्थी इस बात पर विचार कर सके कि क्या अवमानना करने वाले न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए 20.3.2005, 21.3.2005 और 22.3.2005 को आयोजित लॉटरी को रद्द करने के लिए तैयार थे और ऐसी स्थगित तिथि पर अवमानना करने वाले लॉटरी को रद्ध करने के लिए सहमत नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में, आदेश को समझने की गलती की दलील को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार, उच्च न्यायालय ने भी उसी न्यायाधीश द्वारा पारित गंभीर आदेशों का उल्लंघन करते हुए 20.3.2005, 21.3.2005 और 22.3.2005 को आयोजित लॉटरी को रद्ध करने के लिए अवमानकर्ताओं को निर्देश नहीं देने में न्यायसंगत नहीं था और न्यायालय के स्पष्ट निष्कर्ष को देखते हुए कि उन्होंने*

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त अंतरिम आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया था।

27. *यह मानते हुए भी कि प्रत्यर्थीगण की ओर से वास्तविक गलतफहमी की कोई गुंजाइश थी जब एक बार यह पाया गया कि प्रत्यर्थी ने न्यायालय द्वारा पहले पारित विशिष्ट आदेश की अवज्ञा की थी तो उच्च न्यायालय को अवमानकर्ताओं को उनके द्वारा की गई गलती को सही करने का निर्देश देना चाहिए था जो उनके द्वारा गलत तरीके से आयोजित लॉटरी को रद्ध करके यथा स्थिति को बहाल करके न्यायालय के आदेश के स्पष्ट रूप से उल्लंघन के रूप में किया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि प्रत्यर्थी अवमाननकर्ताओं ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए लॉटरी आयोजित की थी और उक्त लॉटरी के परिणामों को प्रभावी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसे लाइसेंस देने के उद्देश्य से गैरकानूनी व अवैध माना जाना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश को विधि की महिमा और न्यायालय के विधिपूर्ण आदेश की पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से जिसका कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा जानबूझकर या अनजाने में उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, आयोजित लॉटरी को अपास्त कर देना चाहिए था और प्रत्यर्थीगण को गलत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।*

28. *हमारी राय में मुकदमे के किसी पक्ष को अंतरिम आदेश को भंग करके अनुचित लाभ उठाने और उसके परिणामों से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। गलतफहमी की दलील देकर और उसके बाद न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में प्राप्त उक्त लाभ को बनाए रखते हुए और उच्च न्यायालय के आदेश की घोर अवहेलना में प्रत्यर्थी अवमाननाकर्ताओं द्वारा की गई गलती को सही ठहराने की अनुमति नहीं दी*

जानी चाहिए। हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश कानूनी रूप से अनुरक्षणीय नहीं है और इसे एक मिसाल के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उच्च न्यायालय के आदेश की घोर अवहेलना करते हुए प्रत्यर्थी अवमाननाकर्ताओं द्वारा किए गए गलत कार्य को कायम रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

29. *उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में कानून की एक गंभीर त्रुटि की है कि उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के निहितार्थ और परिणामों को समझने में विफलता को अवमानना के कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि उच्च शिक्षित और उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों के पास सक्षम कानूनी सलाहकार हैं और यह उनके लिए यह आरोप लगाने और तर्क देने के लिए विकल्प नहीं था कि प्रत्यर्थी अवमाननाकर्ताओं ने दिनांक 4.1.2005 के आदेश के निहितार्थ को नहीं समझा था। हमारी राय में, उच्च न्यायालय की गरिमा और प्रणाली की दक्षता को स्वयं बनाए रखने के लिए ऐसे अधिकारियों से प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता है।"*

17. अवमानना के क्षेत्राधिकार के दायरे को उजागर करने वाले निर्णयों पर ध्यान देने के बाद अब जिस प्रश्न की जांच करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी के रुख को निष्पक्ष और प्रामाणिक कहा जा सकता है या क्या उनका बचाव कि खण्ड पीठ द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं था कि प्रत्येक क्लस्टर के लिए प्रति घंटे सेवा दर में

वृद्धिशील वृद्धि को अलग से लिया जाना था जो यह न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को पीछे छोड़ने का एक प्रयास मात्र है।

18. जब खण्ड पीठ द्वारा जारी किए गए निर्देश जैसा कि अनुच्छेद सं. 14 औऱ 15 में निहित है अनुच्छेद सं. 10 औऱ 13 के निर्णय के साथ जोड़कर देखा जाता है। मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि खण्ड पीठ ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों के, प्रत्येक क्लस्टर की वृद्धिशील वृद्धि को अलग से रखते हुए रियायतग्राहियों को देय राशि की गणना करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया था। मेरी सुविचारित राय है कि प्रत्यर्थीगण को प्रत्येक क्लस्टर के तथ्यात्मक पहलू को अलग से ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्लस्टरों के रियायतग्राहियों को देय राशि की गणना करने का निर्देश दिया गया था और केवल इसी उद्देश्य के लिए खण्ड पीठ ने याचीगण को अपनी गणना उन्हें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। कम से कम बताने के निर्देश स्पष्ट थे और इसलिए प्रत्यर्थीगण से प्रत्येक क्लस्टर को व्यक्तिगत रूप से देय राशि का निर्धारण करके फॉर्मूले में आवश्यक संशोधन करने की अपेक्षा की गई थी। वास्तव में, दलीलों के दौरान भी, प्रत्यर्थीगण द्वारा इस बात से इंकार नहीं किया गया है कि खण्ड पीठ के समक्ष याचीगण का दावा प्रत्यर्थीगण को न्यूनतम वेतन में वृद्धि की सीमा तक अतिरिक्त भुगतान करने का निर्देश देने के लिए था, जिससे न्यूनतम वेतन में वृद्धि के कारण स्टेज कैरिज सेवाएं प्रदान करने की लागत में वृद्धि हुई। प्रत्यर्थीगण का

क्लस्टर 6 की वृद्धिशील वृद्धि को अन्य सभी क्लस्टरों पर लागू करने पर जोर देने के बावजूद कि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्येक समूह का तथ्यात्मक पहलु अलग है और वास्तव में प्रत्येक क्लस्टर की प्रारंभिक सेवा घंटे की दर भी हमेशा अलग थी इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थीगण की ओर से अवज्ञा स्वेच्छाचारी की गई है।

19. उपर्युक्त के आलोक में मेरी यह राय है कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थीगण को अवमानना का दोषी ठहराने के लिए सभी चार पूर्व-शर्तें पूरी होती हैं। प्रत्यर्थीगण द्वारा लिया गया यह काल्पनिक बचाव कि प्रत्येक क्लस्टर के लिए अलग से वृद्धिशील वृद्धि पर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी की धारणा पूरी तरह से गलत है और इसे अस्वीकार करने की आवश्यकता है। अवमानना के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय इस न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि अवमानना के कानून का उद्देश्य ही जनहित की सेवा करना और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास पैदा करना है। वर्तमान मामले में प्रत्यर्थीगण खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश को बार-बार चुनौती देने में विफल रहने के बावजूद जानबूझकर खण्ड पीठ द्वारा जारी स्पष्ट निर्देशों को दरकिनार करने और नाकाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए प्रत्यर्थीगण के साथ सख्ती से पेश आना आवश्यक है।

20. उपर्युक्त कारणों से यह न्यायालय प्रत्यर्थीगण को रि.या.(सि.) सं. 4297/2017 में खण्ड पीठ द्वारा 06.12.2017 को पारित आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए न्यायालय की अवमानना का दोषी पाता है।

21. सजा पर बहस के लिए 14.07.2023 को सूचीबद्ध किया जाए, जिस तारीख पर अवमाननाकर्तागण अर्थात विशेष आयुक्त परिवहन, मुख्य सचिव और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के श्रम सचिव न्यायालय में उपस्थित होंगें।

(सुश्री रेखा पल्ली)
न्यायाधीश

अप्रैल 21,2023
केके/ए.सि.एम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*